

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 367/जाओर/2016-2011

यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व ब्लॉक परिषद बागेली राजकोटा, महाविद्यालय-डीवाना
जिला जाओर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958
(राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।
यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक तीस माह मार्च
सन् दो हजार ईसवी को जाओर में दिया गया ।




रजिस्ट्रार संस्था
रजिस्ट्रार संस्थाए.
जाओर